

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 02.06.2025

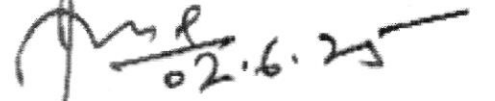
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा	खैरथल

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

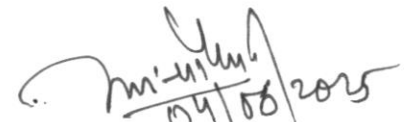
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/03/2025/.973

Date: 4./06/2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars/ OSD, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. Concern District & Sessions Judge.
3. Concerned courts.
4. Concern Chief Judicial Magistrate.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


04/06/2025
REGISTRAR (RULES)